बिहार सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

आदेश

जिला पदाधिकारी, गया के आदेश ज्ञापांक–702 दिनांक–17.09.2026 के माध्यम से प्रतिवेदित किया गया है कि खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना के नियंत्रणाधीन कार्यरत श्री अमरजीत आजाद (कोटि क्रमांक–125/2024), प्रखंड आपूर्ति निरीक्षक, परैया, गया को अपने कार्यो के प्रति लापरवाही बरतने, केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा चलाये जा रहे अति–महत्वपूर्ण योजनाओं के सफल संचालन में अभिरूचि नहीं लिये जाने, बिना सूचना के मुख्यालय से बाहर रहने के साथ अनुशासनहीनता, कर्त्तव्य के प्रति घोर लापरवाही तथा स्वेच्छाचारिता जैसे संबंधी आरोप के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (समय–समय पर यथासंशोधित) के नियम–9(1) के आलोक में श्री आजाद को तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए इनका मुख्यालय जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गया निर्धारित किया गया है। साथ ही, विभाग से उक्त निलंबनादेश को सम्पुष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया है।

2. जिला पदाधिकारी, गया के आदेश ज्ञापांक–702 दिनांक–17.09.2026, जिसके द्वारा श्री अमरजीत आजाद (कोटि क्रमांक–125/2024), प्रखंड आपूर्ति निरीक्षक, परैया, गया को निलंबित किया गया है, को दिनांक–17.09.2026 के प्रभाव से सम्पुष्ट किया जाता है।

3. निलंबन अवधि में श्री आजाद का मुख्यालय जिला आपूर्ति पदाधिकारी का कार्यालय, गया ही निर्धारित रहेगा।

4. निलंबन अवधि में श्री आजाद को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (समय–समय पर यथासंशोधित) के नियम–10 में निहित प्रावधान के तहत अनुमान्य जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।

आदेश पर सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।

(रवीन्द्र कुमार)
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–प्र08–गो0आ0(गया)–23/2026– 6166 /खाद्य, पटना/दिनांक– 05/10/2026

प्रतिलिपि–1. प्रमंडलीय आयुक्त, मगध प्रमंडल, गया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
2. जिला पदाधिकारी, गया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
3. जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गया/जिला कोषागार पदाधिकारी, गया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
4. उप सचिव, प्रशाखा–03, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
5. अनुमंडल पदाधिकारी, टिकारी, गया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
6. आई0टी0 मैनेजर (विभागीय वेबसाईट पर अपलोड हेतु), खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना को प्रेषित।
7. श्री अमरजीत आजाद (कोटि क्रमांक–125/24), निलंबित आपूर्ति निरीक्षक, जिला आपूर्ति पदाधिकारी का कार्यालय, गया, E-Mail : amarjit5978@bihar.gov.in, Mobile No. 6287891466 को निदेशित किया जाता है कि निलंबन अवधि में निर्धारित कार्यालय में नियमित रूप से अपनी उपस्थिति दर्ज करना सुनिश्चित करेंगे।

सरकार के संयुक्त सचिव।